तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **राजेन्द्र कुमार चौहान बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 377/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2022	अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार चौहान, पता 2, दूरसंचार, संचार कोलानी के बाहर, चिराग मोटर्स के पास, लॉ गार्डन रोड़, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006 ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.11.2021 में उसके द्वारा चौपासनी रोड़ ग्राम सूथला की एक भूमि खसरा नम्बर 123, 124, 124/2, 122/1, 117, 120 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर को दिनांक 16.09.1978 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्फत सुपुर्द की थी, उक्त भूमि से संबंधित (1) जमाबंदी (2) उपरोक्त खसरों एवं सूथला गांव में दिनांक 16.09.1978 को लागू जमीन का लगान (3) राजस्थान आवासन मंडल से वसूला गया प्रीमीयम एवं लीज राशि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	